बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि — 02 चैत्र, 1939 (श.) / 23 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 10

1.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	02
2.	वित्त विभाग	-	-	01
3.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	02
4.	परिवहन विभाग	-	-	01
5.	जल संसाधन विभाग	-	-	02
6.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग		-	01
7.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	01
			कुल योग –	10

विभागीय कार्रवाई

159. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल के ग्राम हसानाबाद के निवासी दिपलाल साह, पिता-राजेन्द्र साह की हत्या गले में फंदा डालकर ग्राम-सिरही, थाना-पकड़ीदयाल तथा अरुण भगत एवं उसका बहनोई दिलीप कुमार सिंह तथा 4-5 लोगों द्वारा हत्या दिनांक 10.4.16 को अपने लीची बगान में कर दी, जिसका पकड़ीदयाल थाना कांड सं.-44/16, दिनांक 10.4.16 में धारा 302, 120(बी), 34 आई.पी.सी. एवं 27 आर्म्स ऐक्ट में दर्ज किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड में अरुण भगत एवं उसके बहनोई दिलीप कुमार सिंह का हसानाबाद की महिलाओं के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध ग्रामीण जनता करती थी, जिससे ग्रामीणों को उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। हत्या के उपरांत बगान की रखवाली करने वाले चन्दन कुमार, पे.-किशारी सहनी, शेखकर, मुजफ्फरपुर एवं दो महिलाओं को जिनका उक्त अभियुक्तों के साथ अवैध संबंध था, तीनों को जेल भेजा गया था, परन्तु मेन अभियुक्त अरुण भगत एवं उसके बहनोई को थाना द्वारा आजतक नहीं पकड़ा गया तथा मेरे द्वारा एस.पी. एवं डी.एस.पी. को बार-बार कहने के बावजूद आज तक पकड़ा नहीं गया तथा अभियुक्तगण थाना में भी जाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आजतक अरुण भगत एवं उसके बहनोई दिलीप सिंह की गिरफ्तारी और न ही कुर्की-जब्ती हुई। दोनों के द्वारा केस को उठाने हेतु गवाहों, घरवालों को बार-बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोनों व्यक्तियों को अविलंब गिरफ्तार कर और कुर्की-जब्ती की भी कार्रवाई कर बचाने वाले थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

एकमुश्त भुगतान

160. **श्री सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार का ध्यान दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अंक में शीर्षक 'राज्य सरकार नॉन बैंकिंग कंपनियों पर कसेगी शिकंजा' पर गई है;

(ख) क्या यह सही है कि सहारा इंडिया इसी तरह की एक नॉन बैंकिग संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय पटना स्थित बोरिंग रोड के राज टावर स्थित सहारा बिहार एवं अन्य उप शाखाएं सैकड़ों की संख्या में पटना के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि ये शाखायें एवं फ्रेंचाइचिज शाखाओं में भोली-भाली जनता की गाढ़ी कमाई अधिक ब्याज का सब्जबाग दिखाकर करोड़ों रुपया, सावधि (मियादी, आवर्ती एवं दैनिक खाताओं) वर्षों से निवेश कराया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि सहारा इंडिया की शाखा दानापुर, फुलवारीशरीफ, चितकोहरा बाजार, डाक बंगला तथा श्रीकृष्णापुरी, पटना की शाखा में भुगतान एक मुश्त नहीं किया जा रहा है तथा महीनों टहलाया जा रहा है तथा पुन: निवेश करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'घ' में वर्णित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज कर जनता के द्वारा निवेशित जमा राशि को मैच्यूरिटी समय एकमुश्त भुगतान दिलवाने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर : (क) स्वीकारात्मक है।

(ख) स्वीकारात्मक है।

(ग) NBFCs कम्पनियों के क्रिया-कलापों की जांच एवं अन्य कार्रवाई हेतु BPID Act-2002, नियमावली-2004 एवं संशोधित अधिनियम-2013 की धारा-05 के अंतर्गत सरकार के निदेश के आलोक में अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम, पटना को सक्षम प्राधिकार के रूप में नामित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ज्ञापांक-2880/गो., दिनांक 15.03.2017 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अपर समाहर्ता (विशेष कार्यक्रम)-सह-सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रश्नगत मामले की जांच की जा रही है।

(घ) उपरोक्त के अनुसार मामले की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा की जा रही है।

(ड.) BPID (amendment) Act-2013, की धारा 3, 2(क)(1) के अंतर्गत कार्य करने हेतु विधिवत सूचना नहीं दी गई है। उपरोक्त खंड-ग के अनुरूप प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई संबंधित संस्था के विरुद्ध की जाएगी।

सुविधा मुहैया कबतक

161. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि उत्तर बिहार के 12 जिलों के 112 प्रखंडों में ट्यूबवेल में भूगर्भ जल स्तर मापक यंत्र लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि भूगर्भ जल स्तर के घटने-बढ़ने को मिनटों में जांचने के लिए यह यंत्र एक कारगर कदम है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने अभी तक कितने ट्यूबवेलों में इसकी सुविधा मुहैया कराई है तथा शेष में कबतक करा देगी?

ऑटो में मीटर सिस्टम

162. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में ऑटो रिक्शा में आए दिन यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऑटो में अन्य राज्यों की तरह मीटर सिस्टम नहीं रहने से कई बार किराये को लेकर झिक-झिक होती रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में परिचालन हो रहे ऑटो में मीटर नहीं रहने से भी रात में ऑटो चालक द्वारा यात्रियों से दोगुना-तिगुना किराया वसूला जाता है, जिससे पटना के मीठापुर बस स्टैण्ड से स्टेशन तक के आवागमन में यात्री त्रस्त हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में राज्य में परिचालित हो रहे ऑटो में मीटर सिस्टम नियम लागू करने के साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) और रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटीफिकेशन (आर.एफ.आई.डी.) टैग लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

हजारों पद रिक्त

163. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों की सभी शाखाओं में अभियंताओं की नियमित नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हजारों पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बतलायेगी कि राज्य के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में अभियंताओं के कितने पद और कबसे रिक्त पड़े हैं और सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लूट-पाट की घटना

164. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के उकड़पुर में साइबर संचालक के घर से चोर लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त घटना के बाद पुलिस द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं करने से खगौल रोड रेलवे लाइन के उत्तर नहर से उफड़पुर ग्राम होते हुए जगदेव पथ तक असामाजिक तत्वों का प्रकोप बढ़ गया है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रास्ते में शाम ढलते राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आये दिन लूट की घटना होते रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाना चाहती है कि खंड 'क' में वर्णित मामले पर क्या कार्रवाई की गई तथा खंड 'ख' में वर्णित स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु क्या कार्रवाई कर रही है, ताकि सुशासन की सरकार में लोग सुरक्षित रह सकें, यदि नहीं तो क्यों?

पुल का निर्माण

165. **श्री टुनजी पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के मैरवा-नौतन मुख्य मार्ग पर गंडक नहर पर रामगढ़ गांव के पास का पुल ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से दरौली से कुचायकोट तक जाने वाले ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

संचालन की सुदृढ़ व्यवस्था

166. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा एक दर्जन से अधिक छात्रावास संचालित हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि रख-रखाव एवं विभागीय अनुश्रवण की उदासीनता के कारण सभी छात्रावास बंद हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आदिवासी एवं जनजाति बहुल जिला में बच्चों के आवासन एवं पठन-पाठन की सुविधा नहीं मिलने से बच्चे आधुनिक क्रियाकलापों से दूर हो जाते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त छात्रावासों के संचालन की सुदृढ़ व्यवस्था कबतक करना चाहती है?

थाना खोलने पर विचार

167. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर थाना अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर बाजार से आबादी के रूप में मोहिउद्दीन नगर बलुआही अनुग्रह नगर का काफी विस्तार हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' के प्रश्न अंतर्गत कई शैक्षणिक संस्थानों आई.टी.आई., जे.टी.ए. महाविद्यालय, अनुग्रह बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पी.एन.उच्चतर मध्य विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नगर भवन इत्यादि के कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहिउद्दीन नगर बलुआही अनुग्रह नगर में पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नलकूपों का जीर्णोद्धार

168. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लघु सिंचाई प्रमंडल, सीतामढ़ी में 45 अदद नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्राक्कलित राशि चार करोड़ एकावन लाख के विरुद्ध 86 लाख की राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या यह सही है कि आवंटित राशि में से 36 लाख रुपये की निकासी कर ली गई है जबकि इस राशि से होनेवाले कार्य का जमीन पर कहीं कोई अता-पता नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि इस मार्च लूट में प्रमंडल के अभियंता, लेखा शाखा एवं संवेदकों की मिलीभगत है जबकि नलकूप के जीर्णोद्धार नहीं होने से किसान परेशान हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहती है और नलकूप जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 23 मार्च, 2017